झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

संकल्प

संoसंo-04/आo-14/2022/...2551.../ **राँची, दिनांक**-...09-11-2022...

झारखण्ड के राज्यपाल को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्रीमती नीरजा कुजूर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा (अतिरिक्त प्रभार- क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा के द्वारा कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय/ झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय तथा समर्थ बालक/बालिका आवासीय विद्यालयों में बाजार दर से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति आदेश निर्गत कर वित्तीय अनियमितता करने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने, पद का दुरूपयोग कर नियम विरूद्ध कार्य करने, विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं करने एवं उक्त कार्य कर सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-03(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं।

अतः प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्रीमती नीरजा कुजूर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

उपर्युक्त लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक-8054 दिनांक-24.11.2021 के आलोक में इस विभाग के लिए नामित जाँच पदाधिकारी श्री रमेश कुमार दूबे, (सेवानिवृत्त भा0प्र0से0) को संचालन -सह- जाँच पदाधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं साक्ष्य सहित आरोप पत्र की प्रति संचालन पदाधिकारी/ उपस्थापन पदाधिकारी/ आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय।

आरोपित पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष यथा आदेश रखना सुनिश्चित करें। साथ ही वे विभागीय कार्यवाही के संचालन कार्य में विभागीय जाँच पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग करेंगे।

संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि निर्धारित समयावधि में जाँच कार्य पूर्ण करते हुए जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

03.11.22
(कुमुद सहाय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2551/ राँची, दिनांक-09-11-2022

प्रतिलिपि :- विभागीय नोडल पदाधिकारी, विभागीय ई० पोर्टल को सूचनार्थ एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03.11.22
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2551/ राँची, दिनांक-09-11-2022

प्रतिलिपिः- श्री रमेश कुमार दूबे, (सेवानिवृत्त, भा०प्र०से०) संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, नगर प्रशासनिक भवन, एच०इ०सी० गोलचक्कर के निकट, धुर्वा, राँची/ उपस्थापन पदाधिकारी- श्री अनिल कुमार, अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची एवं श्रीमती नीरजा कुजूर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03.11.22
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2551/ राँची, दिनांक-09-11-2022

प्रतिलिपिः- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय सचिव के आप्त सचिव/ विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03.11.22
सरकार के संयुक्त सचिव।